



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-07112022-240089  
CG-UP-E-07112022-240089

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4945]  
No. 4945]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5164(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 01 अगस्त, 2022 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर मध्य रेलवे निर्माण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3611 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "झांसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन "दैनिक समाचार" पत्रों अर्थात्, "अमर उजाला" और "दैनिक जागरण" में तारीख 06 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया था;

और, तीन आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं,

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना झांसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए झांसी जिले के झांसी तथा मऊरानीपुर तहसील में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जन हेतु रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	वर्तमान खतौनी के अनुसार भू-स्वामी का नाम
1	झांसी	बनगुवाँ	54	37/1	0.405	निजी	कृषि	रॉयल हेरिटेज द्वारा पार्टनर मो0 सलीम कुरैशी, पार्टनर मो0 बसीम कुरैशी पुत्रगण अब्दुल हकीम कुरैशी निवासी 178 अन्दर ओरछा गेट शहर तहसील व जिला झाँसी।
2			231	37/2	0.405	निजी	कृषि	रॉयल हेरिटेज द्वारा पार्टनर श्रीमती आशिया पत्नी मो0 सलीम कुरैशी, श्रीमती राबिया पत्नी बसीम कुरैशी निवासीगण 178 अन्दर ओरछा गेट।
3				37/3	0.095	निजी	कृषि	रॉयल हेरिटेज द्वारा पार्टनर बसीम कुरैशी पुत्र हकीम कुरैशी निवासीगण 178 अन्दर ओरछा गेट।
			योग		0.905			
4	झांसी	हरपुरा	381	992	0.022	निजी	कृषि	रामदयाल, सुखलाल, बेनीप्रसाद पुत्रगण धनीराम नि0 ग्राम
5			177	994	0.061	निजी	कृषि	द्वारिका प्रसाद पुत्र मन्मूलाल नि0 सनौरा, राजेन्द्र कुमार पुत्र नाथुराम नि0 सनौरा
			योग		0.083			
6	मऊरानीपुर	रोरा	180	705	0.041	निजी	कृषि	नसीरनूर अहमद शेख, नबाब अहमद पुत्रगण नूर अहमद, श्रीमती बरकत बेगम पत्नी स्व0 नूर अहमद, वशीर अहमद, मु0 इशाक पुत्रगण इब्राहीम, श्रीमती कुंवरबाई पत्नी स्व0 इब्राहीम नि0 भटपुरा
7				706	0.032	निजी	कृषि	
8				707	0.036	निजी	कृषि	
9				708	0.049	निजी	कृषि	
10			532	709	0.008	निजी	कृषि	हरीदास, प्यारेलाल, जानकी, अयोध्या प्रसाद, परशुराम पुत्रगण कुंवरलाल नि0 ग्राम
	मऊरानीपुर	रोरा	योग		0.166			
11	मऊरानीपुर	भटपुरा	494	463	0.026	निजी	कृषि	श्रीमती सावरा बानो पत्नी वशीर खाँ, नि0 ग्राम
12				464	0.012	निजी	कृषि	
13	मऊरानीपुर	भटपुरा	205	465	0.013	निजी	कृषि	नसीर नूर अहमद शेख, नबाब अहमद पुत्रगण नूर अहमद, श्रीमती बरकत बेगम पत्नी स्व0 नूर अहमद, वशीर अहमद, मु0 इशाक पुत्रगण इब्राहीम, श्रीमती कुंवरबाई पत्नी स्व0 इब्राहीम नि0 भटपुरा
14				467	0.159	निजी	कृषि	
15			375	468	0.146	निजी	कृषि	राजाराम पुत्र रामदास, नि. भटपुरा
			योग		0.356			

[ई.फा. सं.एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.भूमि/5/2022-ओ.ओ. डिप्टी. सी.ई./सी- I झांसी (कम्प्यूटर नं. 60371) दिनांक 12.04.2022]

शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

## [North Central Railway (Construction Department)]

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

**S.O. 5164(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Central Railway, Construction Department), Notification number, S.O. 3611(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1<sup>st</sup> August, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11<sup>th</sup> of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, **“Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km)”** in the district of Jhansi in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Amar Ujala” and “Dainik Jagran” dated the 06<sup>th</sup> August 2022 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, three nos. objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely **“Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling (411 km)”** Project Under Jhansi and Mauranipur Tehsil of Jhansi District in the State of Uttar Pradesh.

Sr. No	Name of Tehsil	Name of Village	Khata No.	Khasra No.	Area to be acquired (In Hect.)	Type of Land	Nature of Land	Name of Present Land Owner as per Khatauni
1	Jhansi	Banguwan	54	37/1	0.405	Private	Agriculture	By Royal Heritage Partner Mohd. Salim Qureshi, Partner Mo. Waseem Qureshi S/o Abdul Hakim Qureshi resident of 178 in side Orchha Gate shahar tehsil and district Jhansi.
2			231	37/2	0.405	Private	Agriculture	By Royal Heritage Partner Shrimati Ashiya W/o Mo. Saleem Qureshi, Shrimati Rabiya W/o Baseem Qureshi resident of 178 inside Orcha gate.
3				37/3	0.095	Private	Agriculture	By Royal Heritage Partner Baseem Qureshi S/o Hakim Kuraisi resident of 178 inside Orcha gate.
			Total		0.905			
4	Jhansi	Harpura	381	992	0.022	Private	Agriculture	Ramdayal, Sukhlal, Beniprasad S/o Dhaniram residence village Harpura.
5			177	994	0.061	Private	Agriculture	Dawarika Prasad S/o Mannulal vill. Sanaura, Rajendra Kumar S/o Nathuram residence village Sanaura.
			Total		0.083			

6	Mauranipur	Rora	180	705	0.041	Private	Agriculture	Nasir Nur Ahmad Sheikh, Nabab Ahmad S/o Noor Ahmad, Smt. Barkat Begum W/o Late Noor Ahmad, Washir Ahmad, Md. Ishaq S/o Ibrahim, Smt. Kunwarbai W/o Lt. Ibrahim, residence village Bhatpura.
7				706	0.032	Private	Agriculture	
8				707	0.036	Private	Agriculture	
9				708	0.049	Private	Agriculture	
10			532	709	0.008	Private	Agriculture	Haridas, Pyarelal, Janki, Ayodhyaprasad, Parshuram S/o Kunwarlal residence village Rora.
			<b>Total</b>		<b>0.166</b>			
11	Mauranipur	Bhatpura	494	463	0.026	Private	Agriculture	Smt. Sawra Bano W/o Washir Khan, residence village Bhatpura.
12				464	0.012	Private	Agriculture	
13			205	465	0.013	Private	Agriculture	Nasir Nur Ahmad Sheikh, Nabab Ahmad S/o Noor Ahmad, Smt. Barkat Begum W/o Late Noor Ahmad, Washir Ahmad, Mohd. Ishaq S/o Ibrahim, Smt. Kunwarbai W/o Lt. Ibrahim, residence village Bhatpura.
14				467	0.159	Private	Agriculture	
15			375	468	0.146	Private	Agriculture	Rajaram S/o Ramdas, residence village Bhatpura.
			<b>Total</b>		<b>0.356</b>			

[e-file No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No.60371) dated 12.04.2022]

SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer (Construction)